


25/12/25 परावली चोर्ट केम वेगूं में पेसा डूई  
अधिवक्ता उममप-कु अनुपलिन  
न्यायालय समय में तीन-चार बार  
आवाज दिलायी गयी, उसके पर्याप्त  
की उनके अधिवक्ता व स्वयं  
अपीलांत व सेन्सेडेंर में से कोई  
उपलिन नहीं। अतः परावली  
अडक हाजिरी अडक वेरपी के खातिर  
की जाती है परावली के अलावा  
होकर नभर से फक है।

  
श्री. जिला कलक्टर  
पयलभाटा (चित्तौड़गढ़)